



DABUR INDIA LIMITED

CIN: L24230DL1975PLC007908

Regd. Off: 8/3, Asaf Ali Road, New Delhi-110 002, Phone: 011-23253488

Website: www.dabur.com, Email: investors@dabur.com

NOTICE TO SHAREHOLDERS

Transfer of Equity shares of the Company to Investor Education and Protection Fund

Notice is hereby given to the members pursuant to the provisions of Section 124(6) and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("the Rules") as notified from time to time by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") that all equity shares (in respect of which dividend has not been paid or claimed for (7) seven consecutive years or more since the payment of Interim Dividend for Financial Year 2019-20) are liable to be transferred by the Company to Investor Education and Protection Fund ("IEPF") Authority as per the Rules.

The Company has sent individual notices to all the concerned shareholders whose shares are liable to be transferred to IEPF Authority advising them to claim their unclaimed dividends. The details of such shareholders have also been made available on Company website i.e. www.dabur.com.

Shareholders holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to IEPF, may please note that upon transfer of shares to IEPF Authority, the original share certificate(s) which are registered in their name will stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable. In case of shareholders holding shares in demat form, the transfer of shares to the demat accounts of IEPF Authority shall be effected by the Company through the respective Depositories by way of Corporate Action.

The concerned shareholders are requested to claim the unpaid/ unclaimed dividend amount(s) on or before November 23, 2026. In case the Company does not receive any communication from the concerned shareholder by November 23, 2026 the Company shall, with a view to complying with the requirements set out in the Rules, dematerialize and transfer the shares to IEPF. Shareholders are requested to note that the updated list of shareholders uploaded on the Company's website should be regarded as and shall be deemed to be adequate notice in respect of issue of new share certificates for the purpose of transfer of shares to Demat accounts of the IEPF Authority pursuant to the amended rules. Please note that upon transfer to IEPF, no claim shall lie upon the Company in respect of the unclaimed dividend amount and equity shares so transferred.

For claiming unpaid/unclaimed dividends, shareholders are requested to contact the Company's Registrar to an Issue and Share Transfer Agents, Mr. S R Ramesh, Deputy Vice President – Corp. Registry at KFin Technologies Limited Unit: Dabur India Limited, Selenium Tower B, Plot No. 31-32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad- 500032, Tel: 040 6716 2222 email id: einward.ris@kfintech.com.

For Dabur India Limited

Sd/-

Saket Gupta
Company Secretary

Date : 09.07.2026

Place : New Delhi



डाबर इंडिया लिमिटेड

CIN: L24230DL1975PLC007908

पंजीकृत कार्यालय: 8/3, आसफ अली रोड, नई दिल्ली - 110 002, फोन: 011-23253488

वेबसाइट: www.dabur.com, ईमेल: investors@dabur.com

शेयरधारकों के लिए सूचना

कंपनी के इक्विटी शेयरों का निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (IEPF) को हस्तांतरण

एतद्वारा कंपनी के सदस्यों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) तथा अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हों, के साथ पठित विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, संपरीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) नियम, 2016 ('नियम'), जिन्हें समय-समय पर कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ('MCA') द्वारा अधिसूचित किया गया है, के अनुसार सूचित किया जाता है कि वे सभी इक्विटी शेयर (जिन पर वित्तीय वर्ष 2019-20 के अंतरिम लाभांश के भुगतान के बाद से लगातार सात (7) वर्षों या उससे अधिक अवधि तक लाभांश का भुगतान अथवा दावा नहीं किया गया है), नियमों के अनुसार कंपनी द्वारा विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि ("IEPF") प्राधिकरण को हस्तांतरित किए जाने के लिए योग्य हैं।

कंपनी ने उन सभी संबंधित शेयरधारकों को व्यक्तिगत सूचना भेज दी है, जिनके शेयर IEPF प्राधिकरण को हस्तांतरित किए जाने के लिए योग्य हैं, तथा उन्हें अपने अप्राप्त/अदावा लाभांश का दावा करने की सलाह दी है। ऐसे शेयरधारकों का विवरण कंपनी की वेबसाइट www.dabur.com पर भी उपलब्ध कराया गया है। भौतिक रूप (Physical Form) में शेयर रखने वाले तथा जिनके शेयर IEPF को हस्तांतरित किए जाने हैं, वे कृपया ध्यान दें कि IEPF प्राधिकरण को शेयरों के हस्तांतरण के पश्चात उनके नाम पर पंजीकृत मूल शेयर प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त माने जाएंगे तथा उनका कोई हस्तांतरणीय मूल्य नहीं रहेगा। डिमैट (Demat) रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के मामले में, कंपनी संबंधित डिपॉजिटरी के माध्यम से कॉर्पोरेट कार्रवाई द्वारा उक्त शेयर IEPF प्राधिकरण के डिमैट खाते में हस्तांतरित करेगी।

संबंधित शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे 23 नवंबर 2026 तक अपने अप्राप्त/अदावा लाभांश का दावा कर लें। यदि कंपनी को 23 नवंबर 2026 तक संबंधित शेयरधारक से कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो नियमों के अनुपालन हेतु कंपनी संबंधित शेयरों का डिमैट रूपांतरण कर उन्हें IEPF प्राधिकरण को हस्तांतरित कर देगी। शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड की गई संबंधित शेयरधारकों की अद्यतन सूची, संशोधित नियमों के अनुसार IEPF प्राधिकरण के डिमैट खाते में शेयरों के हस्तांतरण हेतु नए शेयर प्रमाण-पत्र जारी करने के संबंध में पर्याप्त सूचना मानी जाएगी। कृपया यह भी ध्यान दें कि IEPF को हस्तांतरण के पश्चात अप्राप्त/अदावा लाभांश राशि तथा हस्तांतरित इक्विटी शेयरों के संबंध में कंपनी के विरुद्ध कोई दावा स्वीकार्य नहीं होगा।

अप्राप्त/अदावा लाभांश का दावा करने हेतु शेयरधारक कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर हस्तांतरण अभिकर्ता से संपर्क करें: श्री एस. आर. रमेश, KFin Technologies Limited, यूनिट: डाबर इंडिया लिमिटेड, सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट संख्या 31-32, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुड़ा, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, हैदराबाद - 500032, फोन: 040-6716 2222, ईमेल: einward.ris@kfinetech.com

तिथि : 09.07.2026

स्थान : नई दिल्ली

डाबर इंडिया लिमिटेड के लिए

साकेत गुप्ता

कंपनी सचिव